पत्रांक–[illegible]–वि0

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

प्रभात शंकर,
सचिव (व्यय) ।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0) बिहार,
महालेखाकार कार्यालय,
वीरचंद पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांकः–08/01/2015.

विषयः– **दिनांक–01/01/2006 को और उसके बाद ए०सी०पी०/एम0ए0सी0पी0 के प्रावधानों के आधार पर वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार के अधीन विभिन्न कार्यालयों/विभागों एवं कर्मचारी संघों द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर परामर्श/स्पष्टीकरण की अपेक्षा की जाती रही है कि (i) दिनांक–01/01/2006 के पूर्व ए०सी०पी० प्राप्त कर्मी का वेतनपुनरीक्षण ए०सी०पी० से प्राप्त वेतनमान के प्रतिस्थानी वेतनमान में किया जायेगा अथवा पदधारक के मूल कोटि के वेतनमान में किया जाएगा ? (ii) दिनांक–01/01/2006 से 12/07/2010 तक ए०सी०पी० की स्वीकृति अपुनरीक्षित वेतनमान में अनुमान्य होगी या पुनरीक्षित वेतनमान में अनुमान्य होगी ? तथा (iii) वित्तीय उन्नयन का लाभ वित्तीय उन्नयन की देय तिथि से अनुमान्य होगा या नहीं ?

2. समीक्षा के क्रम में स्पष्ट होता है कि इस सम्बन्ध में वित्त विभागीय पत्रांक–6961 दिनांक–03/07/2012, पत्रांक–8594 दिनांक–17/08/2012 एवं ज्ञापांक–1682 दिनांक–19/02/2014 निर्गत है । इन परिपत्रों के अनुसार ए०सी०पी० नियमावली–2003 के तहत वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर्मियों का वेतन दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से उनके मूल कोटि के वेतनमान में पुनरीक्षण किया जाएगा और दिनांक 01/01/2009 जिस तिथि से एम0ए0सी0पी0 लागू किया गया है से पूर्व प्राप्त वित्तीय उन्नयन का प्रतिस्थानी पे–बैंड एवं ग्रेड–पे में निर्धारित वेतन अनुमान्य होगा । इसके अलावे यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई कर्मी चाहे तो अपुनरीक्षित अथवा पुनरीक्षित वेतनमान में वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने का विकल्प दे सकता है किन्तु दिनांक01/01/2006 से 31/12/2008 के बीच देय वित्तीय उन्नयन का लाभ देय तिथि से नहीं अपितु दिनांक 01/01/2009 से दिया जा सकेगा।

sec.3A.PS/RK/15

(18)

(iii) अगर किसी कर्मी को दिनांक 01/01/2009 से 12/07/2010 के बीच एसीपी० नियमावली, 2003 के तहत प्रथम/द्वितीय एसीपी० अनुमान्य न होकर प्रथम/द्वितीय एम०ए०सी०पी० देय होता है तो उक्त कर्मी को देय तिथि को प्राप्त वेतनमान के ग्रेड-पे से ठीक उच्चतर ग्रेड-पे में एम०ए०सी०पी० का लाभ अनुमान्य होगा । उदाहरणस्वरूप अगर बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग के किसी सहायक को प्रथम एम०ए०सी०पी० उक्त अवधि के बीच देय होता है तो ऐसे कर्मी को प्रथम वित्तीय उन्नयन, सहायक पद के पुनरीक्षित वेतनमान पी०बी०-2+ग्रेड पे-4600/- से ठीक उच्चतर ग्रेड-पे-4800 में तथा द्वितीय वित्तीय उन्नयन पी०बी०-2+4800/- से ठीक उपर पी०बी०-2+5400/- ग्रेड-पे अनुमान्य होगा ।

इस स्पष्टीकरण के संदर्भ में वित्त विभाग के पत्रांक-8594 दिनांक-17/08/2012, पत्रांक-6961 दिनांक-03/07/2012 एवं पत्रांक-1682 दिनांक-19/02/2014 को विलोपित किया जाता है ।

विश्वासभाजन
ह0/-
(प्रभात शंकर)
सचिव (व्यय)।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे0पु0-18/2009-275-वि0 पटना, दिनांक:-08/01/2015

प्रतिलिपिः-सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(प्रभात शंकर)
सचिव (व्यय) ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे0पु0-18/2009-275-वि0 पटना, दिनांक:-08/01/2015

प्रतिलिपिः-सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को वित्त विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

8.1.15
(प्रभात शंकर)
सचिव (व्यय) ।

बिहार सरकार,
जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांक 3/स्था0-18(विविध पत्रा0(मु0-05/2015- 749 पटना, दिनांक:-5-6-15

प्रतिलिपि सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश देने की कृपा की जाय ।

05.06.15
(आशीष कुमार सिन्हा),
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक:- 749 पटना, दिनांक:-5-6-15

प्रतिलिपि कम्प्यूटर कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

05.06.15
सरकार के अवर सचिव ।